

यूनानी पद की संगत सेवानियमावली
“उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (यूनानी) नर्सिंग सेवा नियमावली–2021”
नोट— माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के पत्र सं०— परिषद—9 / 743 दिनांक 25.10.2016 द्वारा निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किया गया है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी संस्था द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा—10) मान्य नहीं है:—
1— बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
2— बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन गुवाहाटी, असम।
3— बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना।
4— सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली।
5— छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, रायपुर।
6— काउन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली।
7— दयालबाग एजूकेशन इस्टूटीयूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) आगरा।
8— गोवा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, गोवा।
9— गुजरात सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड, गाँधीनगर, गुजरात।
10— बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा, भिवानी।
11— हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, धर्मशाला, कांगड़ा।
12— जे० एण्ड के० स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, जम्मू।
13— झारखण्ड एकेडमी काउन्सिल, रांची।
14— कर्नाटका सेकेण्डरी एजूकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, बंगलौर।
15— केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, तिरुवनन्तपुरम।
16— महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, पुणे।
17— बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल।
18— बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
19— मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, मेघालय।
20— मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, ऐजाल।
21— नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, कोहिमा।
22— बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, उड़ीसा, कटक।
23— पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड, मोहाली।
24— बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन राजस्थान, अजमेर।
25— स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, (सेकेण्डरी) एण्ड बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एग्जामिनेशन, तमिलनाडु।
26— त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अगरतला।
27— वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, कोलकता।
28— बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।
29— उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा, अरबी और मुंशी परीक्षा फारसी।
30— माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा।
31— राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।
32— भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल (मैट्रीकुलेशन) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाएं जिसके संबंध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।
33— ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।
34— ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।
35— महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में, जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हों, सहित उत्तीर्ण की गई हो। वर्ष—1998 से प्रभावी माना जाय।
नोट:— उक्त के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की अधिसूचना दिनांक 17.11.2020 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार।
इसी प्रकार निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा—12) के समकक्ष मान्यता प्रदान की गयी है:—
1— बोर्ड ऑफ इण्टरमीडिएट एजूकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
2— असम हायर सेकेण्डरी एजूकेशन काउन्सिल, गुवाहाटी।
3— गर्वमेन्ट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेन्ट ऑफ प्री—यूनीवर्सिटी एजूकेशन, बंगलौर।
4— काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, उड़ीसा।
5— बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल
6— गुजरात सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड गाँधीनगर।
7— केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, तिरुवनन्तपुरम।
8— महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, पुणे।
9— काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, मणीपुर, इम्फाल।
10— वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, कोलकता।
11— माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।
12— उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।

13— बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना।
14— सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली।
15— छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, रायपुर।
16— काउन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली।
17—दयालबाग एजूकेशन इन्स्टीट्यूट (डीम्ड युनीवर्सिटी) दयालबाग, आगरा।
18— गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, गोवा।
19— बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा, भिवानी।
20— हिमांचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, कांगड़ा।
21— जे० एण्ड के० स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, जम्मू।
22— झारखण्ड एकेडमी काउन्सिल, रांची।
23— माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल।
24— मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, मेघालय।
25— मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, एजाल।
26— नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, कोहिमा।
27— पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड, मोहाली।
28— माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
29— स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन (सेकेण्डरी) एवं बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एग्जामिनेशन, तमिलनाडू।
30— त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अगरतला।
31— राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेण्डरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ की ये परीक्षा कम से कम पांच विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।
32— भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाएं जिनके संबंध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।
33— डॉ० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित प्री—डिग्री सर्टीफिकेट फार डेफ स्टूडेंट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ की ये परीक्षा पांच विषयों के साथ उत्तीर्ण की गई हो।
34— ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र (एन०टी०सी०) अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एस०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा—12) की परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप मे उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की इण्टरमीडिएट (कक्षा—12) के समकक्ष माना जायेगा।
35— प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।
36— महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में, जिसमे भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हों, सहित उत्तीर्ण की गई हो। वर्ष—1998 से प्रभावी माना जाय।
उक्त के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा—12) मान्य नहीं है।
नोट:— आवेदन Submit किये जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

10. आयु सीमा— (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1983 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (2) अधिकतम आयु सीमा मे छूट:— (क) उ०प्र० के अनुसूचित जाति, उ०प्र० के अनुसूचित जनजाति, उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ०प्र० राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ०प्र० के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ०प्र० के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। 11. स्टॉफ नर्स यूनानी (पुरुष/महिला) मुख्य (लिखित) परीक्षा के संबंध में कृतिपय सूचनायें:— (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगे जिसके लिये आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, उ०प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ०प्र० के बाहर के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू० 200 /— एवं ऑन—लाईन प्रक्रिया शुल्क रू० 25 /— योग रू० 225 /— तथा उ०प्र० के अनुसूचित जाति/उ०प्र० के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रू० 80 /— एवं ऑन—लाईन प्रक्रिया शुल्क रू० 25 /— योग रू० 105 /— निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ०प्र० के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन—लाईन प्रक्रिया शुल्क रू० 25 /— मात्र देना होगा। उ०प्र० के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रू 80 /— एवं ऑन—लाईन प्रक्रिया शुल्क रू० 25 /— योग रू० 105 /— निर्धारित है। उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/उ०प्र० के कुशल खिलाड़ी के अभ्यर्थी/ उत्कृष्ट खिलाड़ी के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग/ श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) स्टॉफ नर्स यूनानी (पुरुष/महिला) मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन नोट कर लें कि मुख्य सबमिट / जमा करना होगा। (3) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक एंट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिये आवंटित किया गया है। (4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में
--

आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (5) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
--

नोट:— स्टॉफ नर्स यूनानी (पुरुष/महिला) मुख्य (लिखित) परीक्षा 2023 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/ प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/ प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:— (1) उ०प्र० लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र मे गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत् परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। (2) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise (sync.) करना अनिवार्य होगा अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। (3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा) के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (4) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/ अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा—3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। (8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (11) कदाशय अर्थात् परीक्षा मे नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No., Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (14) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिकितियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे। (15) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (16) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (17) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धित गोलों को ठीक से काला करके सही—सही भरे जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर हवाईटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का भी प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। (18) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। (19) प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी:— 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। (20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum

